रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 1996/आश्विन 26, 1918
No. 347] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 1996/ASVINA 26, 1918

CENTRAL SECRETARIAT
No.
Date
GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1996

सा. का. नि. 485 (अ.):—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एक सौ रुपए (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत ताबां, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्त हों) पचास रुपए, दस रुपए और दो रुपए (जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल हो) के सिक्कों का "सरदार वल्लभ भाई पटेल" की स्मृति में निर्माण (स्मारक सिक्कों का मानक वजन और उपचार) नियम, 1996 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें ।

2. परिभाषा : इन नियमों में "अधिनियम" से अभिप्रेत है सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) है ।

3. सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किए गए कतिपय अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और उन पर अनुज्ञात उपचार :-

सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबंधों के अधीन निर्मित किए गए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के बनाने में अनुज्ञात उपचार, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगा :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना में	मानक वजन में
1	2	3	4
एक सौ रुपए	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500 + या — अर्थात् चांदी की मात्रा 498 से 502 तक प्रति हजार हो सकती है ।	1/100 + या — अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का हो सकता है ।
पचास रुपए	30 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100 + या— अर्थात् तांबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक हो सकता है ।	1/40 + या — अर्थात् वजन 29.250 ग्राम से 30.750 ग्राम तक हो सकता है ।
दस रुपए	12.5 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100 +या — अर्थात् 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक हो सकता है ।	1/40 + या — अर्थात् वजन 12.187 ग्राम से 12.812 ग्राम तक हो सकता है ।
दो रुपए	6 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के लिए 1/100 + या — अर्थात् तांबा 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक और निकल 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक हो सकता है ।	1/40 + या — अर्थात् वजन 5.650 ग्राम से 6.150 ग्राम तक हो सकता है ।

[सं. 1/6/93-सिक्का II (1)]
एम. पी. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1996

G. S. R. 485 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21, read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement :—**

(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of Commemorative Coins of One Hundred Rupees (Containing Silver 50%, Copper 40% , Nickel 5% and Zinc 5%), Fifty Rupees, Ten Rupees and Two Rupees (containing copper 75% and Nickel 25%) coined in the memory of "SARDAR VALLABHBHAI PATEL" Rules 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition** : In these rules "Act" means Coinage Act, 1906 (3 of 1906).

3. Standard Weight and Remedy allowed on coins of certain denominations coined in the memory of SARDAR VALLABHBHAI PATEL.

The Standard Weight of the coins of the following denominations coined under the provisions of section 6 of the Act, in memory of SARDAR VALLABHBHAI PATEL and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the table below :—

Denomination	Standard	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standard Weight
1	2	3	4
100 Rupees	35 grammes	1/500 plus or minus for silver that is to say that the silver contents may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 plus or minus say the weight could very from 34.65 grammes to 35.35 grammes.
50 Rupees	30 grammes	1/100 plus or minus both for Copper and Nickel i.e. to say Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus i.e. to say that the weight could vary from 29.250 grammes to 30.750 grammes.
10 Rupees	12.5 grammes	1/100 plus or minus both for Copper and Nickel i.e. to say Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus i.e. to say that the weight could vary from 12.187 grammes to 12.812 grammes.
2 Rupees	60 grammes	1/100 plus or minus both for Copper and Nickel i.e. to say Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus i.e. to say that the weight could vary from 5.850 grammes to 6.150 grammes.

[F. No. 1/6/93-Coin. II (1)]
M.P. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996